

प्रेषक

डा. शशि रानी

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,

फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	फुल कुमारी देवी पति-शुभ नाथ पासवान ग्राम+पो०-प्रहलादपुर थाना-मुसहरी जिला-मुजफ्फरपुर	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	रीता देवी पति-परमेश्वर साव ग्राम-पचकेसर पो०-तेर्रा, थाना-करपी जिला अरवल	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	गजेन्द्र सिंह पिता-बालेश्वर सिंह ग्राम-खरौना पो०-हांसाडीह थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	संतोष कुमार दत्त पिता-राज किशोर दत्त ग्राम+पो०-चौरौत थाना-पुपरी जिला-सीतामढ़ी	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
5	मनेज कुमार पिता-बैद्यनाथ चौधरी ग्राम-गुरबलीया शिवाला टोला पो०-गुरबलीया थाना-मनुआपुल जिला-प० चम्पारण	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
6	सुनील साह पिता- युगल साह ग्राम+पो०+थाना-बरहीया जिला-लखीसराय	कुल्हा रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।

7	किरण देवी पति-शिव शंकर प्रसाद ग्राम-सुन्दर साह कालोनी रोड नं0-1, आकाशवाणी मार्ग आशियाना मोड़, पो0-बी0एम0पी., थाना-राजीवनगर जिला-पटना	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	सुनील कुमार पिता-स्व. शिवनन्दन प्रसाद ग्राम-पो0-मुर्गीयाचक थाना-बेना जिला-नालंदा	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,85,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 7,85,000 /-(सात लाख पचासी हजार) मात्र का क्रास चेक सं0.....

~~387998~~ मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 893 (14)

पटना, दिनांक 17.06.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री श्रवण कुमार, मंत्री ग्रा0वि0 एवं सं0 कार्य विभाग पता-12 ए, बेती रोड पटना 800015/ श्री सैयद अबु दोजाना स0वि0स0 सुरसंड पता-सिधरा हाउंस मकान नं0-3/22, हारून नगरद सेक्टर 2 फुलवारीशरीफ, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

प्रेषक

डा. शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,

एस.एस. हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मालती देवी पति-अवधेश शर्मा ग्राम-दरियापुर पो०-साहो बीगहा थाना-घोषी जिला-जहानाबाद	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	सरोज देवी पति-इन्द्र लाल राम ग्राम-केशोचक पो०-चिकसौरा बाजार थाना-चिकसौरा जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	किशोरी सिंह पिता-राम सागर सिंह ग्राम-उप्रवा पो०-बिरनामा थाना-काशीचक जिला-नवादा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	सुषमा देवी पति-विनय पासवान ग्राम-कुर्रे टोला टांड पो०-कुर्रे, थाना-घोषी जिला-जहानाबाद	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	आलो देवी पति-बालदेव प्रसाद ग्राम-राउत बीगहा झुनाठी पो०-असाढ़ी, थाना-मुफसिल जिला-नवादा	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

6	राम जन्म सिंह पिता-बेच्चु सिंह ग्राम-रामडीह पो0-थाना-परैया जिला-गया	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,80,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~387991~~.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **5020 418 8262** खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~387991~~.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 17.06.16

ज्ञापांक 879 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.06.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड हॉस्पिटल, एडं रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	इन्दु देवी पति-विशेषवर प्रसाद ग्राम-माधोपुर पो०-वासुदेवपुर थाना-कोतवाली जिला-मुंगेर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	शिवजी चौधरी पिता-रामानन्द चौधरी ग्राम-समौसर पो०-करसर थाना-नावानगर जिला-बक्सर	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	महेश कुमार पिता-राजेन्द्र शर्मा ग्राम-रूपसपुर पो०+थाना-हरनौत जिला-नालंदा	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	जन कुमारी देवी पति-ईश्वर धारी प्रसाद ग्राम+पो०-चन्दुआरा थाना-वेना जिला नालंदा	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	हसबुल खातुन पति-मो० इदरीश ग्राम-हरिहरपुर पो०-करुआ थाना-कल्याणपुर जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।

6	हरि लाल सिंह पिता-स्व. घमंडी सिंह ग्राम-पंडित बीगहा पो0-बढेता थाना-परसबीगहा जिला-जहानाबाद	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
7	रजनी देवी पति-रविन्द्र कुमार ग्राम-काजीपुर रोड नं0-4 मिथु लाज, पो0-बांकीपुर, थाना-कदमकुआ जिला पटना	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
8	इन्दु देवी पति-अरविन्द राय ग्राम+पो0-माहीपुरा थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
9	चौद मुनी देवी पति-प्रदीप पासवान ग्राम-रुसुलपुर गंगटी पो0-बकसामा थाना-गोरौल जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
10	रीता देवी पति-उमेश महतो ग्राम-जजौली पो0-बन्सोही थाना-मशरक जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
11	खुशबु खातुन पति-मो0 मोजीब ग्राम+पो0-ठुठी थाना-चौथम जिला-खगड़िया	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
12	मरियम खातुन पति-मो0 जसीम ग्राम-बैरीया एराजी पो0-बलभद्रपुर थाना-विरपुर, जिला-सुपौल	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 10,68,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,68,000/- (दस लाख अड़सठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~387992~~.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 887992 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

882(14)

पटना, दिनांक

17-06-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

डा. शशि रानी

सं० सं० 14/एम 11-1/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रविना खातुन पति-कुतुबदिन मियां ग्राम-पो०-फुलवरीया थाना-सुगौली जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	मो० शमशाद पिता-मो उस्मान ग्राम- मस्जिद टोला, मधैली पो०-धनेठा थाना-फलका जिला-कटिहार	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,75,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,75,000/- (एक लाख पचहतर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~337994~~.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।



4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

((डा. शशि रानी0)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~387994~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 884(14)

पटना, दिनांक 17.06.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.6.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 8.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो. फिरोज अली पिता-मो० जयीमुद्दीन ग्राम-अटखम्भा पो०-थाना-बड़हरीया जिला-सीवान	पेट रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
2	मोहन भगत पिता-परमेश्वर भगत ग्राम-रतन टोला पो०-थाना-मनेर जिला-पटना	हड्डी एवं नस रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	अशोक दास पिता-शिव शंकर दास ग्राम-नाजीरपुर पो०-शेखपुर थाना अहियापुर जिला-मुजफ्फरपुर	घुटना प्रत्यारोपण रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	सुरेन्द्र भगत पिता-भगवान भगत ग्राम-मीरगंज पो०-आरा, थाना-टाउन जिला-भोजपुर	घुटना प्रत्यारोपण रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,90,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387999.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 387999 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 894(14)

पटना, दिनांक 17-06-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.6.16